

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-15/2019-20

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

कारु साव एवं अन्य

-::आदेश::-

06.12.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-08, दिनांक-09.08.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेटरवार थाना कांड सं०-15/2019, दिनांक-02.03.2019, धारा-379/414 भा०द०वि० के अन्तर्गत जप्त वाहन (ट्रैक्टर) पंजीयन नं०-JH09AK-7782 एवं वाहन ई० सं०-NJB2&EE2915 तथा उस पर लदे बालू को अवैध रूप से परिवहन के आरोप में चालक एवं मालिक के विरुद्ध दर्ज किया गया है। फ़तारवरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञा सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक-02.03.2019 को जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो एवं अंचल अधिकारी, पेटरवार के द्वारा अवैध बालू का खनन एवं परिवहन के विरुद्ध छापेमारी के दौरान खेतको पंचायत के दामोदर नदी से आ रही अवैध बालू लदे प्रश्नगत वाहन (ट्रैक्टर) पंजीयन नं०-JH09AK-7782 एवं वाहन ई० सं०-NJB2&EE2915 को बिना परिवहन चालान के चांदो बारकेंदुआ सीमाना गांव के समीप पकड़ा गया। अवैध तरीके से बालू का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से बालू का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention

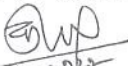
of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पत्रांक-426/अप0 दिनांक-03.02.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि ट्रैक्टर पंजीयन सं0-JH-09AK-7782 एवं वाहन इंजन सं0-NJB2&EE2915 (बालु छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय के द्वारा सशर्त विमुक्त किया जा चुका है।

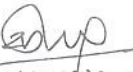
सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा ट्रैक्टर पंजीयन सं0-JH-09AK-7782 एवं वाहन इंजन सं0-NJB2&EE2915 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। विपक्षी के द्वारा भी इस वाद में कोई अभिरुची नहीं ली जा रही है। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कोई कारण-पृष्ठा दाखिल नहीं किया गया है। स्पष्टतः उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। वाहन पर लदा बालु के संदर्भ में अब तक किराी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0-08, दिनांक-09.08.2019 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए जप्त बालु (वाहन छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश दिया जाता है कि जप्त कुल बालु को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


06.12.2022

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


06.12.2022

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।